



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 420]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2015/फाल्गुन 1, 1936

No. 420]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2015/PHALGUNA 1, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2015

का.आ. 584(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि झारखण्ड राज्य के राँची जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के 113.600 कि.मी. से 198.300 कि.मी. तक के भूखण्ड (राँची-रड़गांव सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, राँची, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-33 के 113.600 कि.मी. से 198.300 कि.मी. तक (राँची से रड़गाँव खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि की प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल	
							(एकड़ में)	(वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	राँची	(1) तमाड़	(1) रूगड़ी	19	निजी	दोन-III	0.040	161.8778
				24	निजी	टांड-II	0.070	283.2861
				25	निजी	टांड-II	0.005	20.2347
				202	निजी	दोन-III	0.015	60.7042
				212	निजी	दोन-II	0.015	60.7042

			2428	निजी	दोन-III	0.040	161.8778
			2429	निजी	दोन-III	0.040	161.8778
			2455	निजी	दोन-III	0.040	161.8778
			2453	निजी	दोन-III	0.050	202.3472
					कुल	0.575	2326.9931
		(3) टीमपुर	298	निजी	दोन-II	0.160	647.5111
			301	निजी	दोन-II	0.110	445.1639
			304	निजी	दोन-III	0.050	202.3472
			306	निजी	दोन-III	0.080	323.7556
			308	निजी	दोन-III	0.070	283.2851
			395	निजी	दोन-III	0.020	80.9389
			380	निजी	दोन-III	0.020	80.9389
					कुल	0.510	2063.9417
		(4) रड़गाँव	521	निजी	दोन-I	0.065	263.0514
			523	निजी	दोन-II	0.105	424.9292
			524	निजी	दोन-II	0.080	323.7556
			525	निजी	दोन-I	0.005	20.2347
			526	निजी	दोन-I	0.025	101.1736
			527	निजी	दोन-II	0.100	404.6945
			528	निजी	परती रै0	0.015	60.7042
			529	निजी	परती रै0	0.005	20.2347
			533	निजी	दोन-II	0.160	647.5111
			534	निजी	दोन-I	0.320	1295.0223
			536	निजी	दोन-I	0.045	182.1125
			538	निजी	दोन-I	0.105	424.9292
			549	निजी	दोन-I	0.050	202.3472
			550	निजी	दोन-I	0.240	971.2667
			611	निजी	टांड-II	0.005	20.2347
			612	निजी	टांड-II	0.060	242.8167
			613	निजी	टांड-II	0.075	303.5208
			614	निजी	टांड-II	0.080	323.7556
			617	निजी	टांड-II	0.060	242.8167
			618	निजी	दोन-I	0.240	971.2667
			620	निजी	टांड-II	0.145	586.8070
			621	निजी	टांड-II	0.045	182.1125
			648	निजी	टांड-II	0.010	40.4694
			649	निजी	टांड-II	0.095	384.4597
			650	निजी	टांड-II	0.050	202.3472
			652	निजी	टांड-II	0.045	182.1125
			653	निजी	टांड-II	0.160	647.5111
			654	निजी	टांड-II	0.095	384.4597
			656	निजी	दोन-II	0.070	283.2851
			657	निजी	टांड-II	0.050	202.3472
			1329	निजी	टांड-I	0.155	627.2764
			1330	निजी	टांड-I	0.085	343.9903
			1331	निजी	टांड-I	0.020	80.9389